

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

११
२३/०८

न्याय

7/2/24

पत्रावली पेरा हुई। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को न्यायालय में रुक-रुक कर शाम तक आवाज दिलवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण को अदम सत्ररी एवं अदम पौरवी में खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सैथल जिला दौसा (राज.)